संख्या-14/20152853/52-3-2014-सा(8)/2012

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह,
सचिव
उ0प्र0 □□□□

सेवा में,

□□□□□,
अल्पसंख्यक कल्याण,
□0प्र0 □□□□□

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-3, □□□□: दिनांक 27 □□वरी, 2015

विषयः-प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी तथा फारसी मदरसों को अनुदान सूची पर लिये जाने हेतु मानक एवं शर्तों के निर्धारण के संबंध में।

□□□□,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-187/□□□-3-95-14(87)/95, दिनांक 25 जनवरी, 1996 के अनुक्रम में शासनादेश संख्या-2098/52-3-2014-□□(8)/2012, दिनांक 13 अक्टूबर, 2014 को अतिक्रमित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश के गैर अनुदानित अरबी/फारसी मदरसों को प्रारम्भिक अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु अनुदान सू र लिये जाने के लिये पूर्व निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों में संशोधित करते हुये निम्नांकित मानक एवं शर्तें निर्धारित करते हैं:-

(1) संबंधित विद्यालय की प्रबन्ध समिति सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट-1860 के अन्तर्गत विधिवत पंजीकृत हो तथा नियमानुसार पंजीकरण का नवीनीकरण □□□□ □□□ □□

(2) प्रबन्ध समिति को रजिस्ट्रार सोसायटी उ0प्र0 द्वारा विवाद ग्रस्त घोषित न किया □□□ □□, इसका प्रमाण पत्र।

(3) अरबी फारसी मदरसा मान्यता एवं सेवा नियमावत 1987 के प्राविधानों के अनुसार मान्यता प्राप्त मदरसों द्वारा मान्यता से पूर्व पंजीकरण कराया गय□ □□□ 1987 से पूर्व के मदरसों में यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा।

(4) प्रथम फेज (75) के लिये वर्ष 2003 तक के स्थायी मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में विचार किया जायेगा।

http://gyansanadesh.up.nic.in

(5) आवेदन करने वाले मदरसों के नाम से भूमि/भवन की खतौनी की नकल/□□ डीड/स्थानीय निकाय/वक्फ के केस में दफा 37 की नकल/कृषि योग्य भूमि के संबंध में खतौनी आदि विधिमान्य साक्ष्य प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(6) मदरसे का अपना निजी भवन हो एवं मदरसे की स्थायी मान्यता के समय पर्याप्त कक्ष उपलब्ध हों।

(7) आवेदन करने वाला मदरसा रजिस्ट्रार, □□□□ □□रसी परीक्षायें उ0प्र0 द्वारा स्थायी मान्यता प्राप्त हो।

(8) मदरसे में कुल छात्र संख्या-100 से कम न हो और आलिया स्तर की मान्यता प्राप्त प्रत्येक स्तर में अध्ययनरत छात्रों की संख्या 15 से कम न हो। मदरसे में छात्र संख्या का सत्या संबंधित जिले के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं जिलाधिकारी द्वारा कराया जायेगा।

(9) मदरसे में अरबी फारसी मदरसों की नियमावली के अनुसार निर्धारित योग्यता रखने वाले अध्यापक विधिवत नियुक्त हों तथा यह नियुक्तियां कम से कम 02 दैनिक समाचार पत्र जिसमें एक स्थानीय स्तर तथा एक मण्डल स्तरीय समाचार पत्र जिसका प्रकाशन एक से अधिक मण्डल में हो रहा हो, के एक संस्करण में प्रकाशित कराकर की गयी हों।

(10) रजिस्ट्रार, अरबी फारसी परीक्षायें उ0प्र0 द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सम्मिलित छात्रों का पिछले वर्ष का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो□

(11) मदरसे में मानक के अनुसार 01 प्रधानाचार्य, 01 लिपिक तथा 01 □□□□ □□ अतिरिक्त, आलिया कक्षाओं हेतु 04, □□□□□□ □□03 □□□ □□□□□□ □□05 अध्यापक नियुक्त होने चाहिए। यदि मदरसे में न्यूनतम 08 अध्यापक एवं प्रधानाचार्य का पद उपलब्ध/भरा है तो इस शर्त □□□□ □□□□□□ □□□□ □□ पर लिये जाने पर विचार किया जा सकता है कि संस्था द्वारा रिक्त पदों को 03 माह में निर्धरित प्रक्रिया के अनुसार भर लिया जायेगा। यदि कोई रिक्ति किसी आकस्मिक घटना के कारण या अपरिहार्य परिस्थितियों वश घटित होती है, तो □□ □□ □□ □ □ष के आधार पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा। निर्धारित □□□ (12 अध्यापक) से अधिक अध्यापकों की आवश्यकता पड़ने पर अथवा मदरसों के उच्चीकृत किये जाने पर पदों में वृद्धि की अनुमति शासन स्तर से अनिवार्य होगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

(12) प्रबन्धतंत्र से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जायेगा कि मदरसे को अनुदान सूची पर लिये जाने के उपरान्त वर्तमान एवं भविष्य में निर्धारित होने वाली सभी शर्तें उन्हें मान्य होंगी।

(13) जिस भूमि पर मदरसा संचालित है एवं मदरसे की भूमि की रजिस्ट्री बाद में □□□□ □□□ □□ऐसे मामलों में इस आशय के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे कि वास्तविक रूप से मदरसा उसी भूमि पर संचालित है। शर्त यह है कि अनुदान हेतु आवेदन करने के कम से कम एक वर्ष पूर्व उपरोक्त बिन्दु (5) □□ □□□□ □□ मदरसे के नाम करायी जा चुकी हो।

2- उपरोक्त मानक एवं शर्तें वर्तमान में 75 मदरसों को अनुदानित करने हेतु प्राप्त प्रस्तावों तथा भविष्य में अनुदान सूची पर लिये जाने वाले मदरसों पर प्रभावी होंगे।

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-11-284/□□-2015, दिनांक 27-02-2015 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
□□□□

संख्या-2853(1)/52-3-2014 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. रजिस्ट्रार/निरीक्षक, उ0प्र0 मदरसा शिक्षा परिषद, लख□□□
4. समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. कम्प्यूटर सहायक, अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग-3 को वेबसाइट पर पोस्ट □□□□ □□□
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जय प्रकाश पाण्डेय)
संयुक्त □□□□